संख्या-33/2017/783/26-3-2017-10(5)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 मार्च, 2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059 के अन्तर्गत समाज कल्याण निदेशालय, कल्याण भवन के परिसर में भवन के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-97/2016/1156/26-3-2016-10(5)/2016, दिनांक-29.04.2016 के क्रम में निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-2020-21/ स0क0/नजारत/2016-17 दिनांक-27.03.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22.03.2016 में दी गयी व्यवस्था के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059 के अन्तर्गत समाज कल्याण निदेशालय, कल्याण भवन के परिसर में भवन के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि **रूपया-5,00,000,00/-(रूपये पांच करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष प्रतिशत धनराशि रूपया-2,50,00,000/-(रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

(i) यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात की कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी आपकी होगी।

(i i) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(iii) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोगनियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(iv) आप यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों का द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(v) आप द्वारा पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों एवं वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22.3.2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

(vi) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(vii) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सैंटेक्स चार्ज लिया जायेगा।

(viii) आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(ix) उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबंध)करने के बाद ही आहरित करके कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवररन की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(x) उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान सं0-80 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-'' 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-001- निदेशन तथा प्रशासन-03-समाज कल्याण निदेशालय, कल्याण भवन, लखनऊ के परिसर में कार्यालय भवन का निर्माण-24-बृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक-22.03.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृसं0-33/2017/783(1)/26-3-2017 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाका, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
6- प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्टक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, एन0आई0सी0।
8- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।